ऑन लाईन नं.RCMS2022/95

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. वि. एवं मा. सचिन बलाना पुत्र श्री राजकुमार बलाना, उम्र 29 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, गुरूद्वारा के पिछे, कन्या कॉलेज के पास गजसिंहपुर ~~विक्रेता एवं मालिक~~ **मै0** राजू स्वीट हाउस, मैन बस स्टैण्ड डिफेंस रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 29.08.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तार्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2021 को 1.00 पी.एम पर दौराने निरीक्षणार्थ वि. एवं मा. सचिन बलाना पुत्र श्री राजकुमार बलाना, उम्र 29 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, गुरूद्वारा के पिछे, कन्या कॉलेज के पास गजसिंहपुर मैसर्स राजू स्वीट हाउस, मैन बस स्टैण्ड डिफेंस रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 20 किलो बूंदी के लडडु विक्रय हेतु रखे हुए थे, वि. एवं मा. सचिन बलाना पुत्र श्री राजकुमार बलाना, उम्र 29 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, गुरूद्वारा के पिछे, कन्या कॉलेज के पास गजसिंहपुर मैसर्स राजू स्वीट हाउस, मैन बस स्टैण्ड डिफेंस रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसने विक्रेता व मालिका होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ **20 किलो बूंदी के लडडु** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। खाद्य पदार्थ के रूप में **2 किलो बूंदी के लडडु** नमूने वास्ते लिया। जिसको हिला मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर परिरक्षक ब्लौर, फोरमलिन की 40-40 बूंदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डी.ओ कौड एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सीरियल नम्बर के-1252 दर्ज किया। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना, तत्पश्चात 2 किलो बूंदी के लड्डु नमूने वास्ते लिया, जिसके पेटे 300/ रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर ,5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद प्राप्त ली जो संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा 2 किलो बूंदी के लड्डु का नमूने लिये। प्रत्येक का लेबल तैयार कर नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1252 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1252 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1252 0 किलो बूंदी के लड्डु लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री सचिन बलाना पुत्र श्री राजकुमार बलाना,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक : एलएस/479/एक्ट/2021/468 दिनांक 18.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1252 Sub-Standard Food as extracted Fat dose not conform the standard of Refined Soyabean Oil** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सचिन बलाना पुत्र श्री राजकुमार बलाना, उम्र 29 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, गुरूद्वारा के पिछे, कन्या कॉलेज के पास गजसिंहपुर द्वारा अमानक स्तर **Boondi Laddu Made in Refined Soyabean Oil** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान से कोई लड्डु सैम्पल हेतु नही लिये गये। प्रार्थी को ऑफिस में बुलाकर हस्ताक्षर करवाये गये थे। प्रार्थी ने कोई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिलावट नही की गयी है। खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा झूठी कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त फरमायी जावें तथा प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें। लिहाजा प्रार्थी की ओर से जवाब आवेदन पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें।

श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Boondi Laddu Made in Refined Soyabean Oil** का सैम्पल **K-1252** जांच रिपोर्ट क्रमांक : एलएस/479/एक्ट/2021/468 दिनांक 18.11.2021 द्वारा **Sub-Standard Food as extracted Fat dose not conform the standard of Refined Soyabean Oil** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की दुकान से कोई लड्डु सैम्पल हेतु नहीं लिये गये। प्रार्थी को ऑफिस में बुलाकर हस्ताक्षर करवाये गये थे। प्रार्थी ने कोई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिलावट नहीं की गयी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा झूठी कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त फरमायी जावें तथा प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें। लिहाजा प्रार्थी की ओर से जवाब आवेदन पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Boondi Laddu Made in Refined Soyabean Oil "Code No and Sr. No. K-1252 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted Fat dose not conform the standard of Refined Soyabean Oil as prescribed in Food Safety and standards (Food Products Standaards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त सचिन बलाना को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सचिन बलाना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000--00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Boondi Laddu Made in Refined Soyabean Oil** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर